निर्णय व इजलास श्री विश्वजीत सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 15/25
दायरा दिनांक :– 17.06.2025
निर्णय दिनांक :– 21/12/2025

उनवान

1. त्रिलोक पुत्र मुरली उर्फ मुरारीलाल आयु 26 साल जाति माली निवासी फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां राज0 प्रार्थी–

बनाम

2. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट
निर्णय दिनांक :– 21/12/2025

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री असलम भारती एडवोकेट – प्रार्थी
2. पेरोकार सरकार – अप्रार्थी

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट राजस्व रिकार्ड नाम दुरूस्ती हेतु अप्रार्थी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां में खाता संख्या नया 233 पुराना 230 में आराजी खसरा नं0 2341/517 रकबा 0.05 हे0, खसरा नं0 516 रकबा 0.11 हे0, कुल 2 किता रकबा 0.16 हे0 स्थित है। जो वादी के एकमात्र तनहा खाते एवं कब्जे काश्त की है परन्तु राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम मुरारीलाल के स्थान पर मुरली दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड एवं अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों में प्रार्थी के पिता का नाम मुरारीलाल दर्ज हो रहा है। कि राजस्व रिकार्ड में हुई त्रुटि के कारण प्रार्थी को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी ने उक्त त्रुटि को संशोधित करने हेतु अप्रार्थी से कई बार मौखिक एवं लिखित निवेदन किया परन्तु वे कोई ध्यान नही दे रहै है। अतः प्रार्थी के न्यायालय श्रीमान से उक्त त्रुटि को दुरूस्त कराकर राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम मुरली के स्थान पर मुरारीलाल संशोधित करा पाने का अधिकारी है। प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य पेश है। कि न्यायालय श्रीमान को प्रार्थना पत्र की सुनवायी का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद् नं0 01 में वर्णित आराजी पर दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम मुरली के स्थान पर मुरारीलाल दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने की कृपा करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम फतेहपुर

अध्यक्ष
सदस्य सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बाराँ (राज.)

उप खण्ड अधिकारी
बारॉ

म्वत 2072–75, खाता संख्या नया 233, पुराना खाता संख्या 230 व खसरा नं0 2341/517 रकबा 0.05 हे0, खसरा नं0 516 रकबा 0.11 हे0, आधार कार्ड, मार्कशीट, पहचान पत्र त्रिलोक, पेश किया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गयी। बहस के दौरान प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यो को दोहराया गया प्रार्थी का कथन है कि ग्राम फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां में खाता संख्या नया 233 पुराना 230 में आराजी में खसरा नं0 2341/517 रकबा 0.05 हे0, खसरा नं0 516 रकबा 0.11 हे0, कुल 2 किता रकबा 0.16 हे0 स्थित है। जो वादी के एकमात्र तनहा खाते एवं कब्जे काश्त की है परन्तु राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम मुरारीलाल के स्थान पर मुरली दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड एवं अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों में प्रार्थी के पिता का नाम मुरारीलाल दर्ज हो रहा है। कि राजस्व रिकार्ड में हुई त्रुटि के कारण प्रार्थी को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां में खाता संख्या नया 233 पुराना 230 में आराजी में खसरा नं0 2341/517 रकबा 0.05 हे0, खसरा नं0 516 रकबा 0.11 हे0, कुल 2 किता रकबा 0.16 हे0, आराजी पर दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम मुरली के स्थान पर मुरारीलाल दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने की कृपा करें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गयी। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, बारां द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ग्राम फतेहुपर में खाता संख्या 233 खसरा नं0 2341/517 रकबा 0.05 हे0, व खसरा नं0 516 रकबा 0.11 हे0, में खातेदार उनवान त्रिलोक पुत्र मुरली नाबालिग दर्ज है। जिसमें सरपरस्त पिता मुरली दर्ज है। ग्राम वासियान से जानकारी करने पर पता चला की त्रिलोक बालिग हो चुका है तथा त्रिलोक के पिता मुरली और मुरारीलाल एक ही व्यक्ति है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम मुरली के स्थान पर सही नाम मुरारीलाल दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम फतेहपुर तह0 बारां व जिला बारां की आराजियात वर्तमान खाता संख्या नया 233, पुराना खाता संख्या 230, खसरा नं0 2341/517 रकबा 0.05 हे0, व खसरा नं0 516 रकबा 0.11 हे0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.16 हे0, भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम मुरली के स्थान पर सही नाम मुरारीलाल दर्ज करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वजीत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां
उप खण्ड अधिकारी
बाराँ

अध्यक्ष
सदस्य सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बाराँ (राज.)